न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 04 / 2022 दायर दिनांक 16.05.2022

उनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत लांगच तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील विरूद्ध

आदेश ग्राम पंचायत लांगच नामान्तरण सं 710, दिनांक 22.02.2022

निर्णय दिनांकः 25.05.2022

–: निर्णयः–

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहसीलदार कपासन ने इस आशय का प्रस्तुत की, कि मौजा सरोपा पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी की ग्राम पंचायत लांगच तहसील कपासन के द्वारा नामान्तरण संख्या 710 दिनांक 22.02.2022 को खोला गया। उक्त निर्णित नामान्तरण निरस्त होने योग्य है, प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी मदन लाल पिता प्रभू लाल जाट निवासी सरोपा द्वारा मेरे समक्ष अपनी बडी दादी (मृत्तका झमकु बाई पत्नि परथू जाट) के नाम ग्राम सरोपा अन्तर्गत दर्ज कृषि भूमि मे विरासतं की कार्यवाही किये जाने बाबत दिनांक 12 / 10 / 2021 को मय शपथ पत्र (वारीसान बाबत) क्रमांक– 6621 दिनांक 12 / 10 / 2021 सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ मृत्यु प्रमाण पत्र प्रति संलग्न की गई। किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र के साथ उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित मृत्तका खातेदार झमकु बाई पत्नि परथू जाट निवासी सरोपा के नाम किस किस जमाबन्दी खाता संख्याओ [illegible] भूमि दर्ज रेकार्ड है कि नकल जमाबन्दीया संलग्न नही की गई।

पटवारी हल्का लांगच द्वारा उक्त आदेश की पालना मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ मे आवश्यक कार्यवाही (विरासत) किये [illegible] बाबत ग्राम सरोपा [illegible] दिनांक 10 / 2 / 2022 को प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मृत्तका खातेदार झमकूबाई पत्नि परथू जाट के वारीसान की जांच करते हुए मौका पर्चा तैयार किया गया जिसमे उक्त मृतका

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:38:56 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार की कुल दो पुत्रीया मांगी बाई एवं धापू बाई होना तथा उक्त मे से एक पुत्री धापू बाई के फौत हो जाने से पुत्र नारायण लाल एवं पुत्री भेरी माता धापू बाई का विवरण अंकित करते हुए उपस्थित ग्राम मौतबिरानो द्वारा उक्त पर्चा मौका हस्ताक्षरित करवाया गया।

महोदय जी मौजा सरोपा की खाता संख्या 16 की आराजी संख्या 1000, 1001, 999 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है0 ,खाता संख्या 52 की आराजी संख्या 1005, 1293/960, 298, 299, 300, 952, 963, 998 कुल किता 8 कुल रकबा 3.07 है0, खाता संख्या 111 की आराजी संख्या 961 रकबा 0.08 है0 व खाता संख्या 115 की आराजी संख्या 1321/879, 876, 879, 880 की खातेदारी मृत्तका झमकू बाई पत्नि परथू जाट पिता मोतीराम जाट दर्ज रेकार्ड थी।

महोदय जी मौजा सरोपा की खाता संख्या 51 की आराजी संख्या 939 रकबा 2.54 है0 पूर्ण व खाता संख्या 83 की आराजी संख्या 882, 889, 890, 891, 893, 894, 902, 905 कुल किता 8 कुल रकबा 5.45 है0 में 1/4 हिस्सा से खातेदार जीवित झमकू बाई पत्नि परथू जाट पिता हजारी जाट के नाम दर्ज रेकार्ड थी।

पटवारी हल्का द्वारा तैयार उक्त दिनांक 12/2/2022 को मृतका खातेदार झमकू बाई पत्नि परथू जाट की सन्दर्भ मे वारीसान जांच पर्चा मौका अनुसार ग्राम सरोपा प0 म0 – लागंच की जमाबन्दी खाता स0 16 , 51 , 52, 83 , 111 , 115 में अन्तर्गत जरीये ना0 स0 710 विरासत कार्यवाही किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित मृत्तका खातेदार झमकू बाई पत्नि परथू जाट के संदर्भ मे वारीसान के नाम (पर्चा मौका अन्तर्गत वर्णित अनुसार) दर्ज करा ना0 स0 710 ग्राम सरोपा प0 ह0 लागंच तहसील कपासन ना0 क0 प्रस्तावित दिनांक 10/2/2022 जांच भू अभिलेख निरक्षक सिंहपुर को प्रस्तुत किया गया जिस पर भू0 अ0 नि0 सिंहपुर द्वारा अपनी जांच टिप्पणी अंकित की गई। तत्पश्चात् उक्त ना० क0 स0 710 ग्राम सरोपा ग्राम पंचायत लागंच कोरम अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22/2/2022 को पंचायत प्रस्ताव स0 04 द्वारा पारीत किया गया नकल नामान्तरकरण स0 710 संलग्न दस्तावेज है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

महोदयजी उक्त ना स0 710 ग्राम सरोपा अन्तर्गत जमाबन्दी खाता स0 16, 51, 52, 83, 111, एवं 115 सभी उक्त वर्णित खातो मे मृत्तका खातेदार झमकू बाई पत्नि परथू जाट पिता मोतीराम जाट निवासी सरोपा के नाम कृषि भूमि का अंकन समझते हुए पटवारी हल्का लागंच द्वारा उक्त नामान्तरकरण अन्तर्गत सभी खातो मे मृत्तका खातेदार कि बजाय उसके [illegible] (मूलवारिश) प्रस्तावित किये जाने व ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित किये जाने से [illegible] खातो मे दर्ज कृषि भूमि उसके वारीसान के नाम दर्ज रेकार्ड [illegible] सरोपा की खाता संख्या 51 , 83 की खातेदार कृषि भूमि [illegible] नही हो कर झमकु बाई पत्नि परथू जाट पिता हजारी जाट निवासी सरोपा की है [illegible] जीवित है। जिसको पटवारी पटवार हल्का लांगच द्वारा सहवन से मृतक खातेदार झमकू बाई पत्नि परथू जाट पिता मोतीराम जाट एवं जीवित खातेदार झमकू बाई पत्नि परथू जाट पिता हजारी जाट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:38:56 IST
Reason: SelfAttested

नाम व जाति एक समान राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से भूलवश अंकन करते हुए मृतका खातेदार के वारीसान के नाम दर्ज करा प्रस्तावित किये जाने रेकार्ड अन्तर्गत दर्ज हो गये है।
अतः महोदयजी से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर पटवारी हल्का लामंच द्वास दर्ज ग्राम सरोपा ना0 स0 710 को निरस्त कराते हुए उक्त नामान्तरकरण खाता स0 51 एवं 83 अन्तर्गत दर्ज कृषि भूमि मे से उक्त मृतका झमकू बाई पत्नि पस्थू जाट के नाम दर्ज प्रविष्ट को निरस्त करते हुए पुनः ग्राम सरोपा जमाबन्दी खाता स0–51 एवं 83 मे दर्ज कृषि भूमि आराजीयात जीवित खातेदार झमकू बाई पत्नि परथू जाट एवं उक्त खाता स0 51 एवं 83 के अलावा शेष जमाबन्दी खाता संख्याओ (16, 52, 1112 एवं 175) मे दर्ज कृषि भूमि उक्त मृतका खातेदार झमकू बाई पत्नि पस्थू जाट के विरासत के नाम दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे। जिससे कि सही एवं शुद्ध नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सके।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने हाजिर होकर अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरोपा के नामान्तरकरण संख्या 710 दिनांक 22.02.2022 सहवहन से गलत दर्ज हो गया है। अतः उक्त नामान्तरकरण निरस्त करवाया जावें। झमकू पत्नि परथू पिता हजारी जाट के बयान लिये गये जो जीवित है। व अपनी आराजीयात पुनः अपने नाम दर्ज किये जाने बाबत् निवेदन किया। साथ ही रतनलाल पिता परथू जाट निवासी सरोपा के बयान लिये गये। जिसमें नामान्तरकरण निरस्त कर अपनी माता के नाम दर्ज आराजीयात पुनः नाम पर दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिया जाता है कि ग्राम पंचायत लांगच द्वारा पारित राजस्व ग्राम सरोपा के आदेश इन्तकाल संख्या 710 दिनांक 22.02.2022 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कपासन को अपील इस आशय से रिमाण्ड की जाती है नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करे। तहसीलदार कपासन को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.17 12:38:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official